12

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति
(2020-2021)

सत्रहवीं लोक सभा

विद्युत मंत्रालय

['जलविद्युत' विषय संबंधी 43वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई]

बारहवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
18 मार्च, 2021/27 फाल्गुन, 1942 (शक)

बारहवां प्रतिवेदन

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति
(2020-2021)

(सत्रहवीं लोक सभा)

विद्युत मंत्रालय

['जलविद्युत' विषय संबंधी 43वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई]

19.03.2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।
19.03.2021 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मार्च, 2021/फाल्गुन, 1942 (शक)

सीओई सं. 327

©2021 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम (सोलहवां संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित और लोक सभा सचिवालय नई दिल्ली-110001 द्वारा मुद्रित।

विषय सूची

		पृष्ठ
समिति (2020-21) की संरचना		(iii)
प्राक्कथन		(V)
अध्याय एक	प्रतिवेदन.....	1
अध्याय दो	टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है.....	9
अध्याय तीन	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती है	25
अध्याय चार	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को समिति ने स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है	26
अध्याय पांच	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार ने अंतरिम उत्तर दिए हैं/जिनके संबंध में उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं.....	27

परिशिष्ट

एक.	समिति की 18 मार्च, 2021 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश.....	28
दो.	ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 43वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण	31

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2020-21) की संरचना

श्री राजीव रंजन सिंह *उर्फ* ललन सिंह —**सभापति**

सदस्य

लोक सभा

2. श्रीमती साजदा अहमद
3. श्री गुरजीत सिंह औजला
4. श्री बेल्लाना चंद्रशेखर
5. डॉ. ए. चैल्ला कुमार
6. श्री हरीश द्विवेदी
7. श्री एस. ज्ञानतिरावियम
8. श्री संजय हरिभाऊ जाधव
9. श्री किशन कपूर
10. कुमारी शोभा कारान्दलाजे
11. श्री रमेश चन्द्र कौशिक
12. श्री अशोक महादेवराव नेते
13. श्री प्रवीन कुमार निषाद
14. श्रीमती अनुप्रिया पटेल
15. श्री परबतभाई सवाभाई पटेल
16. श्री जय प्रकाश
17. श्री दिपसिंह शंकरसिंह राठौड़^
18. श्री उत्तम कुमार रेड्डी
19. श्री एस.सी. उदासी
20. श्री पी. वेलुसामी
21. श्री अखिलेश यादव

राज्य सभा

22. श्री अजीत कुमार भुयान
23. श्री टी.के.एस. एलंगोवन
24. श्री मुजीबुल्ला खान
25. श्री महाराजा संजाओबा लेशंबा

26. श्री जुगलसिंह माथुरजी लोखंडवाला

27. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर

28. डॉ. सुधांशु त्रिवेदी

29. श्री के.टी.एस. तुलसी

30. रिक्त.*

31. रिक्त#

सचिवालय

1.	श्री आर.सी. तिवारी	—	**संयुक्त सचिव**
2.	श्री आर. के. सूर्यनरायणन	—	**निदेशक**
3.	श्री कुलमोहन सिंह अरोड़ा	—	**अपर निदेशक**
4.	श्रीमती एल.एन. हॉकिप	—	**उप सचिव**
5.	श्री सुभाष चन्द	—	**सहायक समिति अधिकारी**

^ 28.12.2020 को समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया ।

* दिनांक 25.11.2020 को श्री जावेद अली खान, संसद सदस्य, राज्य सभा की सेवानिवृत्ति के कारण ।

\# समिति के दिनांक 13.09.2020 के गठन से पद रिक्त है ।

प्राक्कथन

मैं, ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर 'जलविद्युत' विषय से संबधित ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 43वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी यह बारहवाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. 43वां प्रतिवेदन 04 जनवरी, 2019 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था और उसी दिन राज्य सभा के पटल पर रखा गया था । इस प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी सिफारिशों के संबंध में सरकार के उत्तर 10 मई, 2020 को प्राप्त हो गये थे।

3. समिति ने 18 मार्च, 2021 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया।

4. समिति के 43वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण परिशिष्ट–दो में दिया गया है।

5. संदर्भ और सुविधा के लिए समिति की टिप्पणियां और सिफारिशें प्रतिवेदन में मोटे अक्षरों में मुद्रित हैं।

नई दिल्ली;

18 मार्च, 2021

27 फाल्गुन, 1942 (शक)

राजीव रंजन सिंह *उर्फ* ललन सिंह,
सभापति,
ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति।

अध्याय एक

प्रतिवेदन

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति का यह प्रतिवेदन 'जलविद्युत' विषय से संबधित समिति (2018-2019) के 43वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में विद्युत मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में है।

2. 43वां प्रतिवेदन 04 जनवरी, 2019 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था तथा उसी दिन राज्य सभा के पटल पर रखा गया था। इस प्रतिवेदन में 16 सिफारिशें/टिप्पणियां अंतर्विष्ट थीं।

3. इस प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में की-गई-कार्रवाई टिप्पण सरकार से प्राप्त हो गए हैं। इन्हें निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया गया है:—

(एक) सिफारिशें/टिप्पणियां, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है:

क्रम सं. : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16

कुल : 15

अध्याय - दो

(दो) सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती है:

क्रम सं. : शून्य

कुल : 00

अध्याय - तीन

(तीन) सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को समिति ने स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है:

क्रम सं. : 8

कुल : 01

अध्याय - चार

(चार) सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए है:

क्रम सं. : शून्य

कुल : 00

अध्याय - पांच

4. समिति ने पाया है कि विद्युत मंत्रालय से संबंधित ''जलविद्युत'' विषय संबंधी 43वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) 04 जनवरी, 2019 को लोक सभा को प्रस्तुत किया गया था और उसी दिन राज्य सभा के पटल पर रखा गया था तथा मंत्रालय द्वारा प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की-गई-कार्रवाई उत्तर 03 महीने की अवधि के भीतर अर्थात् 03 अप्रैल, 2019 तक भेजे जाने अपेक्षित थे। हालांकि, समिति पाती है कि मंत्रालय ने 13 महीनों के विलंब के पश्चात् 10 मई, 2020 को अपेक्षित की-गई-कार्रवाई उत्तर भेजे हैं। समिति मंत्रालय की ओर से उसे की-गई-कार्रवाई उत्तर भेजने में हुए विलंब की निंदा करती है। समिति ने अपनी अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए मंत्रालय को सलाह दी कि वे समिति को समय पर उत्तर भेजने के प्रति अतिरिक्त रूप से सावधान व सतर्क रहें। समिति यह भी चाहती है कि मंत्रालय में सभी संबंधितों को इस आशय के आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएं कि भविष्य में समिति को उत्तर भेजने में समय-सीमा का कठोरता से पालन किया जाए। समिति आगे यह चाहती है कि इस प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई विवरण इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत किए जाने के तीन महीने के भीतर समिति को भेज दिया जाए।

5. समिति चाहती है कि प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की-गई-कार्रवाई टिप्पण इस प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण के तीन महीने के अंदर समिति को भेजे जाएं।

सिफारिश (क्रम संख्या 1)

6. समिति ने निम्नवत् नोट किया था:—

समिति ने यह नोट किया है कि वर्तमान नीति के अनुसार, 25 मेगावाट क्षमता तक के जल विद्युत संयंत्रों को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में माना जाता है और वे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के दायरे में आते हैं, जबकि, 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाले जल विदयुत संयंत्रों को पारंपरिक ऊर्जा स्रोत माना जाता है और वे विद्युत मंत्रालय के अधीन आते हैं। समिति को इस विषय की जांच के दौरान, इसकी क्षमता के आधार पर जल विद्युत संयंत्रों का नवीकरणीय ऊर्जा और पारंपरिक ऊर्जा में विभाजित करने के पीछे कोई तर्क नहीं मिला। यह पाया गया था कि जल विद्युत ऊर्जा का एक स्वच्छ और हरित स्रोत है और पारंपरिक थर्मल पावर स्रोत की तुलना में इसके कार्बन फुट प्रिंट नगण्य हैं। समिति ने यह नोट किया है कि जल विद्युत से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 4-10 ग्राम CO_2/केडब्ल्यूएच है जो सौर ऊर्जा उत्सर्जन, अर्थात 38 ग्राम CO_2/केडब्ल्यूएच से भी कम है। कोयला आधारित थर्मल पावर के मामले में यही उत्सर्जन 957 ग्राम CO_2/केडब्ल्यूएच है।

यहां तक कि, विद्युत मंत्रालय ने भी इसकी क्षमता के आधार पर जल विद्युत के ऐसे अलगाव के संबंध में कहा है कि सभी जल विद्युत परियोजनाएं अपनी प्रकृति में पारंपरिक रूप से नवीकरणीय हैं। चूंकि 25 मेगावाट क्षमता तक की जल विद्युत परियोजनाएँ, जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) (शुरुआत में ऊर्जा

मंत्रालय, तदंतर गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में विभाजित किया गया, जिसका अंततः वर्ष 2006 में एमएनआरई नाम रखा गया था) को आवंटित हैं, केवल वे ही नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। इस प्रकार, यह वर्गीकरण कार्य के आवंटन के आधार पर था न कि स्रोत के नवीकरणीय स्वरूप पर। सभी जल विद्युत को नवीकरणीय घोषित करने के संबंध में, उन्होंने कहा है कि "जल विद्युत क्षेत्र के पुनर्जीवन" के प्रस्ताव में विद्युत मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए उपायों में से एक उपाय सभी जल विद्युत परियोजनाओं को, उनके आकार एवं क्षमता से निरपेक्ष, नवीकरणीय के रुप में घोषित करना शामिल है। प्रस्ताव वर्तमान में अंतर-मंत्रालयी परामर्श के अग्रिम चरण में है। विषय की जांच के दौरान, समिति ने यह पाया है कि सभी प्रकार की जल विदयुत को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में घोषित करना राज्य सरकारों/परियोजना विकासकर्ताओं की सामान्य एवं लंबे समय से चली आ रही मांग है। समिति भी इस मांग को वास्तविक और तार्किक मानती है, इसलिए, वे दृढ़तापूर्वक सिफारिश करते हैं कि सभी प्रकार की जल विद्युत परियोजनाओं को जल्द से जल्द ऊर्जा के नवीकरणीय सोत के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। इस संबंध में एक प्रस्ताव जो कि अंतर-मंत्रालयी परामर्श के अधीन है, को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।

7. विद्युत मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत् बताया है:—

''मंत्रालय ने माननीय समिति की सिफारिशों को नोट कर लिया है। दिनांक 8 मार्च 2019 को सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं के वर्गीकरण सहित कुछ उपायों का अनुमोदन कर दिया गया है।

8. समिति ने अपने इस प्रतिवेदन में यह पाया था कि सभी प्रकार की जलविद्युत परियेाजनाओं को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में घोषित करने की मांग राज्य सरकारों और प्रोजेक्ट डेवलपरों की आम और लंबे समय से चली आ रही मांग है तथा यह मांग सही और तार्किक है। जैसा कि मंत्रालय द्वारा समिति को जानकारी दी गई थी कि 'जलविद्युत क्षेत्र' के संबंध में मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए उपायों में से एक जलविद्युत परियोजनाओं को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत घोषित करना था भले ही परियोजनाओं का आकार और क्षमता कुछ भी हो तथा यह प्रस्ताव उस समय अंतर-मंत्रालयी परामर्श के अंतिम चरण में था। सिफारिश के संबंध में सरकार द्वारा वर्तमान में प्रस्तुत उत्तर से समिति पाती है कि मंत्रालय ने सुझाव नोट कर लिया है और यह जानकारी दी है कि सरकार ने वृहत् जलविद्युत परियोजनाओं को नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में श्रेणीकृत करने सहित कतिपय उपायों को 08.03.2019 को स्वीकृत किया है। समिति नोट करती है कि यद्यपि मंत्रालय ने समिति द्वारा दिए गए सुझाव को नोट कर लिया है परन्तु इसने आगे यह नहीं बताया है कि उसके बाद समिति की सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या ठोस कार्रवाई की गई है। जैसा कि पहले बताया जा चुका था कि जलविद्युत पारंपरिक विद्युत स्रोतों की तुलना में एक स्वचछ और हरित ऊर्जा स्रोत है और इसलिए जलविद्युत की क्षमता के आधार पर इसे नवीकरणीय और पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में बांटा नहीं जा सकता है। इसलिए समिति

का दृढ़ विचार है कि इस प्रकार का अंतर समाप्त किया जाए तथा जलविद्युत के आकार और क्षमता पर ध्यान न देते हुए संपूर्ण जलविद्युत को यथाशीघ्र नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में श्रेणीकृत किया जाए। समिति आगे यह चाहती है कि मंत्रालय को सभी प्रक्रियागत औपचारिकताओं को पूरा करना चाहिए और ऊर्जा क्षेत्र के वृहत्तर हित में जलविद्युत को नवीकरणीय ऊर्जा घोषित करना चाहिए ।

सिफारिश (क्रम संख्या 6)

9. समिति ने निम्नवत नोट किया है:—

समिति ने यह नोट किया है कि एक विशिष्ट हाइड्रो स्टेशन 70:30 के ऋण/इक्विटी अनुपात के आधार पर वित्तपोषित होता है। 30% इक्विटी को विकासकर्ताओं द्वारा या तो स्वयं संसाधनों या आईपीओ सहित सार्वजनिक/निजी प्लेसमेंट से प्रबंधित किया जाना है। विभिन्न स्रोतों जैसे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों या बांड जारी करने के माध्यम से 70% ऋण लिया जा सकता है। विदेशी ऋण आमतौर पर विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक (एडीबी) आदि संस्थानों से उपलब्ध होता है और आमतौर पर पीएसयू और सीपीएसयू इसका लाभ उठाते हैं, क्योंकि इसके लिए भारत सरकार की गारंटी आवश्यक होती है। इसके अतिरिक्त, समिति ने यह भी नोट किया कि दीर्घकालिक जल विद्युत परियोजना होने के बावजूद, उनके लिए केवल अल्पकालिक ऋण ही स्वीकृत किए गए हैं। चूंकि ऋण राशि को 10 से 12 वर्षों में चुकाना होता है, इसलिए इसके प्रारंभिक वर्षों में टैरिफ में महत्वपूर्ण वृद्धि होती है। इसके साथ-साथ, जलविद्युत परियोजनाओं के विकास में अनिश्चितताओं के कारण, कई बैंक या वित्तीय संस्थान इन परियोजनाओं को वित्तपोषित करने में इच्छुक नहीं है। ऋण पर लगाया गया उच्च ब्याज दर जलविद्युत के उच्च टैरिफ की समस्या को और अधिक बढ़ाता है।

समिति यह भी नोट करती है कि 10 करोड़ प्रति मेगावाट की पूंजीगत लागत (निर्माण आईडीसी के दौरान ब्याज सहित) के साथ एक विशिष्ट जल विद्युत परियोजना के लिए 10% ब्याज दर पर विचार करते हुए, पहले वर्ष की टैरिफ और स्तरीय टैरिफ क्रमशः लगभग 6.60 रु. प्रति किलोवाट प्रति घंटा और 6.0 रु. प्रति किलोवाट प्रति घंटा आंका गया है। यदि ब्याज दर 4% (या तो सब्वेंशन या अन्य माध्यम से) कम हो जाती है तो, आईडीसी घटक में कमी के कारण उसी परियोजना की पूंजी लागत घटकर रु 9.2 करोड प्रति मेगावाट हो जाएगी। इसके साथ-साथ, पहले वर्ष की टैरिफ और स्तरीय टैरिफ क्रमशः 5.35 रु. प्रति किलोवाट प्रति घंटा और 5.15 रु. प्रति किलोवाट प्रति घंटा हो जाएगा। इस प्रकार, सस्ता वित्तपोषण जलविद्युत परियोजनाओं की व्यवहार्यता बढ़ाने का मुख्य कारक है। समिति यह भी नोट करती है कि 16 रुकी हुई जल विद्युत परियोजनाओं में से 10 वित्तीय बाधाओं के कारण बंद है। समिति का यह विचार है कि सस्ती ब्याज दर पर दीर्घकालिक ऋण जल विद्युत व्यवहार्यता की कुंजी है। मंत्रालय ने बताया है कि

हाल ही में, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) जैसी सरकारी वित्तीय संस्थाओं ने 20 से अधिक वर्षों की अवधि के लिए ऋण का वित्तपोषण प्रदान करना शुरू कर दिया है। इसके अतिरिक्त, यह भी सूचित किया है कि मंत्रालय जल विद्युत विकासकर्ताओं के लिए कम लागत वाले वित्तपोषण उपलब्ध कराने के लिए बैंकरों और वित्तीय संस्थानों के साथ वार्ताएं कर रहा है। समिति ने इस कदम का स्वागत किया है क्योंकि वे लंबे समय से इसके लिए दबाव बना रहे थे। इसलिए, समिति की इच्छा है कि सभी जल विद्युत परियोजनाओं को सस्ती दर पर दीर्घावधिक वित्तपोषण प्रदान किया जाए। सरकार को अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से जल विद्युत परियोजनाओं के लिए सस्ती दर पर अनुदान/सहायता/ऋण प्राप्त करने के लिए भी प्रयास करना चाहिए।

10. विद्युत मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया है:—

जल विद्युत परियोजनाओं की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार लाने हेतु दीर्घावधिक लघु ब्याज वित्तपोषण साधनों के लिए सरकार के प्रयास निरंतर जारी हैं। मंत्रालय के प्रयासों के साथ, आरईसी और पीएफसी पहले से ही 40 वर्षों के परियोजना अवधि के 80% तक की अवधि के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो गए हैं, अर्थात, अब ये ऋण 32 वर्ष तक उपलब्ध होंगे। दीर्घावधिक ऋण प्रदान करने के लिए अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों को प्रोत्साहित करने हेतु अग्रणी बैंकरों के साथ दिनांक 10.01.2019 को सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता में और दिनांक 17.02.2020 को विद्युत मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में बैठकें आयोजित की गई थी। बैंकर विकासकर्ता की धनापूर्ति के अनुरूप ऋणों के पुनर्भुगतान के साथ और दीर्घावधि के लिए ऋण, अर्थात 18 वर्ष तक, ऋण प्रदान करने पर सहमत हो गए हैं। इसके अतिरिक्त, टैरिफ को कम करने हेतु सीपीएसयू को वैश्विक वित्तीय संस्थान जैसे विश्व बैंक, एडीबी, जेआईसीए आदि से दीर्घावधिक ऋण प्राप्त करने की संभाव्यता का पता लगाने के लिए भी कहा गया है।

11. समिति नोट करती है कि जल विद्युत परियोजनाओं की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार के दृष्टिगत, दीर्घावधि के और कम ब्याज दर वाले वित्तपोषण अभिकरणों के लिए सरकार के प्रयास जारी हैं तथा आरईसी और पीएफसी ने 40 वर्षों की परियोजना अवधि की 80 प्रतिशत तक की अवधि के लिए ऋण प्रदान करने की स्वीकृति दी है अर्थात अब ऋण 32 वर्षों तक की अवधि के लिए उपलब्ध हैं। समिति को यह भी सूचित किया जाता है कि अन्य बैंको/वित्तीय संस्थानों को भी दीर्घावधि ऋण प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है जिस पर कि बैंकरो ने लम्बी अवधि अर्थात् 18 वर्षों के लिए ऋण प्रदान करने, जिसका पुनर्भुगतान विकासकर्ता के नकदी प्रवाह के साथ सुसंगत हो, पर विचार करने की सहमित दी है। समिति यह भी नोट करती है कि प्रशुल्क की दर को कम करने के उद्देश्य से सीपीएसयू को विश्व बैंक, एडीबी, जेआईसीए इत्यादि जैसे वैश्विक वित्तीय संस्थानों से दीर्घावधि ऋण प्राप्त करने की संभावना तलाशने के लिए कहा गया है। वित्तीय संस्थानों

से जल विद्युत परियोजनाओं के लिए सस्ती दर पर ऋण प्राप्त करने के लिए मंत्रालय के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए, समिति इस संबंध में हुई वास्तविक प्रगति से अवगत होना चाहती है।

सिफारिश (क्रम संख्या 8)

12. समिति ने निम्नवत नोट किया है:—

"समिति ने यह नोट किया है कि कुछ राज्यों ने जल विद्युत संयंत्र द्वारा उपयोग किए जा रहे प्रत्येक क्यूबिक मीटर पानी के लिए जल उपकर लगाया है। हालांकि, समिति को ऐसा इसके पीछे कोई ठोस कारण नहीं मिला है कि जल विद्युत संयंत्र द्वारा पानी का कोई विनाशी उपयोग नहीं होता। पानी सिर्फ टरबाइन से गुजरता है और फिर से नदी में चला जाता है। समिति ने पाया है कि जल विद्युत परियोजना से संबंधित राज्यों को 12% मुफ्त विद्युत देने के प्रावधान पर विचार करके जल उपकर लगाना उचित नहीं है। चूंकि, जल उपकर लगाने से, पहले से ही तनावग्रस्त क्षेत्र पर और बोझ पड़ेगा। समिति का दृढ़तापूर्वक मानना है कि जिन राज्यों ने इसे लगाया है उन्हें इस मामले में फिर से विचार करने की आवश्यकता है। समिति यह भी चाहती है कि मंत्रालय जल विद्युत परियोजनाओं पर कोई जल उपकर नहीं लगाने के लिए राज्यों को राजी करेगा।

13. विद्युत मंत्रालय ने अपने उत्तर में निम्नवत बताया है:—

वर्तमान में, केवल जम्मू सरकार जल विद्युत परियोजना पर जल उपकर लगाती है। इस संबंध में, मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 24.11.2017 द्वारा जम्मू सरकार के साथ जल उपकर लगाने के मामले को वापस लेने का मुद्दा उठाया है। जम्मू कश्मीर ने प्रारंभिक वर्षों में टैरिफ को नीचे लाने के लिए पकलदुल (1000 मेगावाट), किरू (624 मेगावाट) और रत्ले (850 मेगावाट) जैसी, तीन परियोजनाओं के प्रारंभिक 10 वर्षों के लिए जल उपकर में छूट देने पर सहमति व्यक्त की है।

14. समिति ने इच्छा व्यक्त की है कि मंत्रालय राज्यों को जल विद्युत परियोजनाओं पर जल उपकर न लगाने के लिए मनाए। मंत्रालय ने अपने उत्तर में कहा है कि केवल जम्मू और कश्मीर की सरकार ने जल विद्युत परियोजनाओं पर जल उपकर लगाया है और मंत्रालय ने जल उप कर लगाने के निर्णय को वापस लेने के लिए जम्मू और कश्मीर की सरकार के समक्ष इस मुद्दे को दिनांक 24.11.2017 को उठाया था। जम्मू और कश्मीर की सरकार ने बताया है कि आरंभ के वर्षों में प्रशुल्क को कम करने के लिए, इसने आरंभ के 10 वर्षों के लिए तीन परियोजनाओं नामतः पकलदुल (1000 मेगावाट), किरू (624 मेगावाट) और रत्ले (850 मेगावाट) के लिए जल उपकर में छूट देने के लिए अपनी सहमति दी है। समिति, मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों के कारण प्राप्त सकारात्मक परिणामों के लिए इसकी सराहना करती है। तथापि, समिति मानती है कि समिति की सिफारिश जल विद्युत परियोजनाओं पर कोई जल उपकर न लगाने के लिए राज्यों को तैयार करने की थी परंतु जम्मू और कश्मीर को दी गई छूट न केवल 10 वर्षों की सीमित अवधि के लिए है बल्कि केवल 03 विशिष्ट परियोजनाओं के लिए ही है। अतः समिति इस बात पर जोर देती है कि

मंत्रालय राज्यों को जल विद्युत परियोजनाओं पर कोई जल उपकर न लगाने के लिए राजी करे और इस जल उपकर को सभी परियोजनाओं से स्थायी रूप से हटाने के लिए अपने प्रयास जारी रखे। समिति चाहती है कि इस संबंध में हुई प्रगति से इसे अवगत कराया।

सिफारिश (क्रम संख्या 12)

15. समिति ने निम्नवत नोट किया है:—

"समिति यह नोट करती है कि सामान्यतः सभी जल विद्युत परियोजनाओं तथा विशेषकर बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के साथ कुछ भ्रांतियां जुड़ी हुई प्रतीत होती हैं। ये मुख्य रूप से पर्यावरण, वन और वन्यजीवों पर उनके कथित प्रतिकूल प्रभाव, निजी और वन भूमि के बड़े स्तर पर जलमग्न होने और इसके परिणामस्वरूप जनसंख्या के वृहद् विस्थापन तथा इससे जुड़े पुनर्वास और पुनर्स्थापन मुद्दों आदि से संबंधित हैं, जिन्होंने सामान्य रूप से जल क्षेत्र के विकास में बाधा उत्पन्न की है। मंत्रालय ने जल विद्युत परियोजनाओं के विकास, पर्यावरण पर इसके प्रभाव तथा प्रभावित लोगों के लाभ के लिए प्रावधानों से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। समिति, तथापि, यह महसूस करती है कि अभी भी विद्युत के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने और जल विद्युत से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने की आवश्यकता है। इसलिए, समिति का सुझाव है कि सरकार को विभिन्न सार्वजनिक मंचों पर इस संबंध में अभियानों की शुरूआत करने तथा प्रासंगिक सूचना के प्रचार-प्रसार के अलावा, इस उद्देश्यपूर्ति के लिए संबंधित स्थानीय प्रतिनिधियों/संसद सदस्यों को भी अवश्य शामिल करना चाहिए। समिति का मानना है कि उनकी भागीदारी न केवल इस प्रयास में सहायक होगी, बल्कि कई अन्य स्थानीय मुद्दों में समाधान में भी सहायक होगी।

16. विद्युत मंत्रालय ने अपने उत्तर में निम्नवत बताया है:—

मंत्रालय माननीय स्थायी समिति की सिफारिशों से सहमत है कि स्थानीय मुद्दों का समाधान करने में स्थानीय प्रतिनिधियों/संसद सदस्यों की सहभागिता द्वारा प्रांसगिक सूचनाओं के प्रचार-प्रसार सहित जन जागरूकता अभियानों से अधिक सहायता मिल सकती है।

इसके अतिरिक्त, यह भी सूचित किया जाता है कि फरवरी-मार्च, 2020 में अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित स्थलों के आस-पास के लगभग 40 स्थानीय लोगों को एनएचपीसी के चालू विद्युत स्टेशनों के दौरे पर ले जाया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य संपूर्ण क्षेत्र में जल विद्युत विकास के लाभों को समझने में भागीदारों को समर्थ बनाना था। जल विद्युत परियोजनाओं के लाभों के बारे में स्थानीय लोगों में बेहतर संचेतना के लिए भविष्य में ऐसे कार्य्रकमों को व्यापक पैमाने पर आयोजित करने की योजना है।

इस संबंध में, सुबानसिरी लोअर परियोजना (2000 मेगावट), जो परियोजना के विरोध में स्थानीय आंदोलन के कारण और उसके बाद एनजीटी प्रकरण के कारण दिसम्बर, 2011 से बंद पड़ी थी, स्थानीय प्रतिनिधियों के सहयोग से अक्तूबर, 2019 में पुनः शुरू हो गई है। सुबानसिरी लोअर परियोजना पर कार्य की सफलतापूर्वक पुनः शुरूआत अरुणाचल प्रदेश में और परियोजनाओं को शुरू करने का मार्ग प्रशस्त करेगी।

17. समिति ने सिफारिश की थी कि जल विद्युत परियोजनाओं से संबंधित कुछ निश्चित भ्रांतियों को दूर करने के लिए, जल विद्युत के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है और इस उद्देश्य के लिए, सरकार को विभिन्न सार्वजनिक मंचों पर अभियान चलाने चाहिएं और इनमें स्थानीय प्रतिनिधियों/संसद सदस्यों को भी शामिल करना चाहिए। समिति मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत उत्तर से यह जानकर प्रसन्न है कि अरूणाचल प्रदेश में प्रस्तावित स्थल के आस-पास के लगभग 40 स्थानीय लोगों को फरवरी-मार्च, 2020 में एनएचपीसी के चालू विद्युत स्टेशनों के दौरे पर ले जाया गया था। इसके अतिरिक्त, सुबानसिरी लोअर परियोजना जिसे कि दिसंबर, 2011 में परियोजना के खिलाफ स्थानीय आंदोलन और उसके पश्चात् एनजीटी मामले के कारण बंद कर दिया गया था, को स्थानीय प्रतिनिधियों के सहयोग तथा जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में स्थानीय मुद्दों के समाधान से कार्य सफल पुनर्संचालन के लिए अक्टूबर, 2019 पुनः चालू किया गया है। मंत्रालय ने समिति को यह भी सूचित किया कि सुबानसिरी लोअर परियोजना के सफल पुनर्संचालन से अरूणाचल प्रदेश में और परियोजनाएं शुरू करने का मार्ग बनेगा। समिति, मंत्रालय द्वारा समिति की सिफारिशों के सही परिप्रेक्ष्य में क्रियान्वयन के लिए किए गए प्रयासों की सराहना करती है। यद्यपि समिति का विचार है कि स्थानीय प्रतिनिधियों के अतिरिक्त, उस क्षेत्र का प्रतिनिधत्व करने वाले संसद सदस्य को भी ऐसे अभियानों से जोड़ा जाना चाहिए जिससे कि तीव्र गति से लाभदायक परिणाम प्राप्त होंगे। समिति को आशा है कि मंत्रालय भविष्य में भी ऐसे जागरूकता अभियान जारी रखेगा।

अध्याय दो

सिफारिशें/टिप्पणियां, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है

सिफारिश (क्रम संख्या 1)

समिति ने यह नोट किया है कि वर्तमान नीति के अनुसार, 25 मेगावाट क्षमता तक के जल विद्युत संयंत्रों को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में माना जाता है और वे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के दायरे में आते हैं, जबकि, 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाले जल विद्युत संयंत्रों को पारंपरिक ऊर्जा स्रोत माना जाता है और वे विद्युत मंत्रालय के अधीन हैं। समिति को इस विषय की जांच के दौरान, इसकी क्षमता के आधार पर जल विद्युत संयंत्रों का नवीकरणीय ऊर्जा और पारंपरिक ऊर्जा में विभाजित करने के पीछे कोई तर्क नहीं मिला। यह पाया गया था कि जल विद्युत ऊर्जा का एक स्वच्छ और हरित स्रोत है और पारंपरिक थर्मल पावर स्रोत की तुलना में इसके कार्बन फुट प्रिंट नगण्य हैं। समिति ने यह नोट किया है कि जल विद्युत से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 4-10 ग्राम CO_2/केडब्ल्यूएच है जो सौर ऊर्जा उत्सर्जन, अर्थात 38 ग्राम CO_2/केडब्ल्यूएच है, से भी कम है। कोयला आधारित थर्मल पावर के मामले में यही उत्सर्जन 957 ग्राम CO_2/केडब्ल्यूएच है।

यहां तक कि, विद्युत मंत्रालय ने भी इसकी क्षमता के आधार पर जल विद्युत के ऐसे अलगाव के संबंध में कहा है कि सभी जल विद्युत परियोजनाएं अपनी प्रकृति में पारंपरिक रूप से नवीकरणीय हैं। चूंकि 25 मेगावाट क्षमता तक की जल विद्युत परियोजनाएँ, जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) (शुरुआत में ऊर्जा मंत्रालय, तदंतर गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में विभाजित किया गया, जिसका अंततः वर्ष 2006 में एमएनआरई नाम रखा गया था) को आवंटित हैं, केवल वे ही नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। इस प्रकार, यह वर्गीकरण कार्य के आवंटन के आधार पर था न कि स्रोत के नवीकरणीय स्वरूप पर। सभी जल विद्युत को नवीकरणीय घोषित करने के संबंध में, उन्होंने कहा है कि "जल विद्युत क्षेत्र के पुनर्जीवन" के प्रस्ताव में विद्युत मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए उपायों में से एक उपाय सभी जल विद्युत परियोजनाओं को, उनके आकार एवं क्षमता से निरपेक्ष, नवीकरणीय के रुप में घोषित करना शामिल है। प्रस्ताव वर्तमान में अंतर-मंत्रालयी परामर्श के अग्रिम चरण में है। विषय की जांच के दौरान, समिति ने यह पाया है कि सभी प्रकार की जल विद्युत को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में घोषित करना राज्य सरकारों/परियोजना विकासकर्ताओं की सामान्य एवं लंबे समय से चली आ रही मांग है। समिति भी इस मांग को वास्तविक और तार्किक मानती है, इसलिए, वे दृढ़तापूर्वक सिफारिश करते हैं कि सभी प्रकार की जल विद्युत परियोजनाओं को जल्द से जल्द ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। इस संबंध में एक प्रस्ताव जो कि अंतर-मंत्रालयी परामर्श के अधीन है, को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।

सरकार का उत्तर

मंत्रालय ने माननीय समिति की सिफारिशों को नोट कर लिया है। दिनांक 8 मार्च 2019 को सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं के वर्गीकरण सहित कुछ उपायों का अनुमोदन कर दिया गया है।

[विद्युत मंत्रालय फाइल सं. 15-8/14/2018-एच–दो, दिनांक:10.05.2020]

समिति की टिप्पणियां

[कृपया प्रतिवेदन के अध्याय-एक का पैरा सं. 8 **देखें**]

सिफारिश (क्रम संख्या 2)

मंजूरी के मुद्दे

समिति ने देखा है कि जल विद्युत परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण दिन प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा है। विषय की जांच के दौरान समिति ने पाया कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया बहुत समय लेने वाली है और कई अनिश्चितताओं से भरी हुई है। मंत्रालय ने भी कहा है कि जलविद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में भूमि अधिग्रहण एक स्थायी मुद्दा है। विभिन्न स्थानों पर परियोजनाओं जैसे कि बांध, हेड रेस टनल (एचआरटी), पावर हाउस, स्विच यार्ड, आदि के लिए भूमि के अधिग्रहण से संबंधित कार्यों के प्रारंभ/प्रगति में देरी होती है। मंत्रालय ने कहा है कि इस प्रक्रिया को सुचारू एवं कारगर बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा 27.09.2013 को उचित मुआवजा अधिकार अधिनियम, 2013 अधिसूचित किया गया है जिसमें भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास और पुनर्स्थापन के मामले में स्थानीय लोगों की अधिक भागीदारी है।

मंत्रालय ने सभी प्रभावित और विस्थापित परिवारों के पुनर्स्थापन और पुनर्वास (आरएंडआर) के तहत मुआवजे के अतिरिक्त प्रदान किए जाने वाले विभिन्न लाभों का भी वर्णन किया है। यह पता चला है कि वास्तविक समस्या भूमि अधिग्रहण के निष्पादन तथा पुनर्स्थापन और पुनर्वास योजनाओं के क्रियान्वयन में है, जिसके लिए जिला प्रशासन जिम्मेदार है। समिति ने पाया कि जिला प्रशासकों को बहुतायत में काम सौंपा जाता है, इसलिए, उनके पास सीमित समय होती है। इसके अतिरिक्त, मामले की जटिलता के कारण, अक्सर भूमि अधिग्रहण तथा पुनर्स्थापन और पुनर्वास प्रक्रिया में देरी होती है और अनसुलझे मामले रह जाते हैं।

समिति ने अपनी अध्ययन यात्राओं और विभिन्न राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श के दौरान यह महसूस किया है कि जिला प्रशासन भूमि अधिग्रहण और आरएंडआर से संबंधित मुद्दों के समाधान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिला प्रशासन के सहयोग के बिना, परियोजनाओं को समयसीमा में पूरा होना कठिन है। समिति यह नोट करती है कि जल विद्युत परियोजनाओं के विषय में समय लंघन के कई मामले हैं, जिसके परिणामस्वरूप लागत में भारी वृद्धि हुई है। इसलिए, समिति यह अपेक्षा करती है कि जिला प्रशासन, जहाँ कहीं भी, जल विद्युत परियोजनाएँ/संभावनाएँ हैं, वहां सक्रिय रूप से भाग लेगा और भूमि अधिग्रहण के मामले में

आवश्यक कार्य करेगा और परियोजना के प्रभावित लोगों के पुनर्स्थापन और पुनर्वास (आरएंडआर) में तेजी लाने के लिए प्रभावित लोगों को उचित सौदा मुहैया करवाएगा और साथ ही जल विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाएगा। समिति यह भी सिफारिश करती है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और परियोजनाओं के विकासकर्ताओं को इस संबंध में जिला प्रशासन के साथ समन्वय और सहयोग करना चाहिए।

सरकार का उत्तर

मंत्रालय ने जिला प्रशासन, केंद्र, राज्य सरकार और विकासकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय के लिए समिति की सिफारिशों को नोट कर लिया है। मंत्रालय प्रत्येक सीपीएसयू के लिए आयोजित तिमाही प्रगति समीक्षा बैठक के दौरान सभी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करता है, और जहां भी आवश्यक हो, संबंधित जिला प्रशासन/राज्य सरकार के साथ इन मुद्दों को उठाता है।

[विद्युत मंत्रालय फाइल सं.15-8/14/2018-एच–दो, दिनांक:10.05.2020]

सिफारिश (क्रम संख्या 3)

समिति यह नोट करती है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) के तीन अलग-अलग स्कंधों से तीन प्रकार की मंजूरी अनिवार्य है अर्थात विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) से पर्यावरणीय मंजूरी, वन सलाहकार समिति (एफएसी) से वन मंजूरी एवं राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (एनबीडब्ल्यूएल) से वन्यजीव मंजूरी। यह पूरी प्रक्रिया को बहुत बोझिल बना देता है जो अन्यथा आसान और कम समय लेने वाली होनी चाहिए। समिति का विचार है कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है क्योंकि दोनों ही देश के लिए महत्वपूर्ण हैं। समिति निश्चित रूप से चाहती है कि जल विद्युत परियोजनाओं का विकास उचित विचार-विमर्श करने तथा पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र पर उसके प्रभाव का आकलन करने के बाद ही किया जाए। तथापि, एक ही समय में उनकी राय है कि इस तरह के विचार-विमर्श के दौरान पर्यावरण के लिए जल विद्युत परियोजनाओं के "शुद्ध प्रभाव" को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यह साबित हो गया है कि जल विद्युत परियोजाओं का शुद्ध प्रभाव हमेशा भू-जल पुनर्भरण, वनस्पति और जीव-जंतुओं के उत्कर्ष, बाढ़ के शमन, विभिन्न उद्देश्यों के लिए पानी की उपलब्धता आदि के संदर्भ में सकारात्मक रहा है।

इसके अतिरिक्त, जल विद्युत परियोजनाओं से अधिक विद्युत उत्पादन का अर्थ जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत संयंत्रों पर कम निर्भरता है, जो पर्यावरण में प्रदूषक उत्सर्जित करते हैं। समिति ने पिछले पैरा में इस बात पर प्रकाश डाला है कि विद्युत परियोजनाएं अन्य जल विद्युत के स्रोतों की तुलना में CO_2 का कम उत्सर्जन करती हैं तथा इन्हें अन्य किसी भी प्रकार की विकास परियोजनाओं के रूप में ही नहीं देखना चाहिए। समिति का सुझाव है कि जल विद्युत परियोजनाओं को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए तथा विभिन्न मंजूरियों को प्रदान करते समय सुविचारित दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। समिति को यह भी लगता है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दी गई विभिन्न मंजूरियों की प्रक्रिया को एकीकृत और त्वरित करने की तत्काल आवश्यकता है।

सरकार का उत्तर

मंत्रालय ने समिति की सिफारिशों को नोट कर लिया है। मंत्रालय ने ईसी और एफसी की प्रक्रिया पर बारीकी से निगरानी रखी हुई है और जहां भी आवश्यक हो, और शीघ्र मंजूरी को सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ मुद्दों को उठाता रहा हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले एफआरए मुद्दों को जिला प्रशासन के साथ मंत्रालय द्वारा उठाया गया है।

[विद्युत मंत्रालय फाइल सं.15-8/14/2018-एच–दो, दिनांक:10.05.2020]

सिफारिश (क्रम संख्या 4)

समिति ने यह पाया है कि जल विद्युत परियोजनाओं से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दे अक्सर मुकदमेबाजी का कारण बनते हैं। समिति यह भी जानती है कि ऐसे मामलों के निपटान में काफी विलंब होता है, जिससे जलविद्युत परियोजनाओं के समय और लागत प्रभावित होते हैं। समिति, इसलिए, इस बात की सिफारिश करती है कि विभिन्न मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय और उनके विचारों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से, एक विशेष सेल का गठन किया जाना चाहिए, जो सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में लंबित मामलों पर त्वरित कार्यवाही तथा उस पर निगरानी भी रखेगा।

सरकार का उत्तर

विद्युत मंत्रालय के जल प्रभाग ने जल विद्युत परियोजनाओं से संबंधित सभी राष्ट्रीय हरित अधिकरण और अदालती मामलों पर बारीकी से नजर रखी है। जहां भी, एक से अधिक मंत्रालय की भागीदारी है, सभी संबंधितों से आपसी परामर्श करके एक आम दृष्टिकोण बना गया है। हाल ही में, सुबानसिरी लोअर परियोजना (2000 मेगावाट) के संबंध में, राष्ट्रीय हरित अधिकरण मामले को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ सक्रिय समन्वय से हल किया गया था।

[विद्युत मंत्रालय फाइल सं.15-8/14/2018-एच–दो, दिनांक:10.05.2020]

सिफारिश (क्रम संख्या 5)

समिति यह नोट करती है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अरुणाचल प्रदेश के मुख्य नदी बेसिनों और हिमाचल के चिनाब बेसिन हेतु रिवर बेसिन अध्ययन किए गए हैं। कुछ राज्यों में पर्यावरणीय और पर्यावरण प्रवाह के मुद्दों से संबंधित मामलों से बचने के लिए समिति की सिफारिश है कि जल विद्युत परियोजनाओं की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें अलग-थलग करने के बजाय नदी बेसिन अध्ययनों के आधार पर योजना बनाई जानी चाहिए। समिति का यह मानना है कि इससे नदी की पारिस्थितिकी प्रणाली को संरक्षित करने में न केवल मदद मिलेगी बल्कि इससे इन विद्युत संयंत्रों से अधिकतम विद्युत उत्पादन भी होगा। इसके अतिरिक्त, बड़े बांध आधारित जलविद्युत परियोजनाओं या रन ऑफ रिवर परियोजनाओं की स्थापना का निर्णय, संबंधित नदी घाटियों के समग्र दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए लिया जा सकता है।

सरकार का उत्तर

माननीय समिति की सिफारिशों को नोट कर लिया गया है। इस संबंध में, यह भी प्रस्तुत किया गया है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने क्षेत्र के पर्यावरण और पारिस्थितिकी इलाकों का समग्र दृष्टिकोण से ध्यान रखते हुए, *क्युमुलेटीव इंपैक्ट और कैरीइंग कैपेसिटी स्टडी* किया है, जिसे संक्षेप में, रिवर बेसिन स्टडी भी कहा जाता है। किए गए इन अध्ययनों के आधार पर, कुछ जल विद्युत परियोजनाओं को बंद करने तथा कुछ को संशोधित करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान में सीईए वापकोस लिमिटेड के माध्यम से देश में उपलब्ध जल विद्युत क्षमता की समीक्षा कर रहा है, जिसमें पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रतिनिधियों का सहयोग है।

[विद्युत मंत्रालय फाइल सं.15-8/14/2018-एच–दो, दिनांक:10.05.2020]

सिफारिश (क्रम संख्या 6)

वित्तीय मुद्दे

समिति ने यह नोट किया है कि एक विशिष्ट हाइड्रो स्टेशन 70:30 के ऋण/इक्विटी अनुपात के आधार पर वित्तपोषित होता है। 30% इक्विटी को विकासकर्ताओं द्वारा या तो स्वयं संसाधनों या आईपीओ सहित सार्वजनिक/निजी प्लेसमेंट से प्रबंधित किया जाना है। विभिन्न स्रोतों जैसे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों या बांड जारी करने के माध्यम से 70% ऋण लिया जा सकता है। विदेशी ऋण आमतौर पर विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक (एडीबी) आदि संस्थानों से उपलब्ध होता है और आमतौर पर पीएसयू और सीपीएसयू इसका लाभ उठाते हैं, क्योंकि इसके लिए भारत सरकार की गारंटी आवश्यक होती है। इसके अतिरिक्त, समिति ने यह भी नोट किया कि दीर्घकालिक जल विद्युत परियोजना होने के बावजूद, उनके लिए केवल अल्पकालिक ऋण ही स्वीकृत किए गए हैं। चूंकि ऋण राशि को 10 से 12 वर्षों में चुकाना होता है, इसलिए इसके प्रारंभिक वर्षों में टैरिफ में महत्वपूर्ण वृद्धि होती है। इसके साथ-साथ, जलविद्युत परियोजनाओं के विकास में अनिश्चितताओं के कारण, कई बैंक या वित्तीय संस्थान इन परियोजनाओं को वित्तपोषित करने में इच्छुक नहीं है। ऋण पर लगाया गया उच्च ब्याज दर जलविद्युत के उच्च टैरिफ की समस्या को और अधिक बढ़ाता है।

समिति यह भी नोट करती है कि 10 करोड़ प्रति मेगावाट की पूंजीगत लागत (निर्माण आईडीसी के दौरान ब्याज सहित) के साथ एक विशिष्ट जल विद्युत परियोजना के लिए 10% ब्याज दर पर विचार करते हुए, पहले वर्ष की टैरिफ और स्तरीय टैरिफ क्रमशः लगभग 6.60 रु. प्रति किलोवाट प्रति घंटा और 6.0 रु. प्रति किलोवाट प्रति घंटा आंका गया है। यदि ब्याज दर 4% (या तो सब्वेंशन या अन्य माध्यम से) कम हो जाती है तो, आईडीसी घटक में कमी के कारण उसी परियोजना की पूंजी लागत घटकर रु 9.2 करोड प्रति मेगावाट हो जाएगी। इसके साथ-साथ, पहले वर्ष की टैरिफ और स्तरीय टैरिफ क्रमशः 5.35 रु. प्रति किलोवाट प्रति घंटा और 5.15 रु. प्रति किलोवाट प्रति घंटा हो जाएगा। इस प्रकार, सस्ता वित्तपोषण जलविद्युत परियोजनाओं की

व्यवहार्यता बढ़ाने का मुख्य कारक है। समिति यह भी नोट करती है कि 16 रुकी हुई जल विद्युत परियोजनाओं में से 10 वित्तीय बाधाओं के कारण बंद है। समिति का यह विचार है कि सस्ती ब्याज दर पर दीर्घकालिक ऋण जल विद्युत व्यवहार्यता की कुंजी है। मंत्रालय ने बताया है कि हाल ही में, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) जैसी सरकारी वित्तीय संस्थाओं ने 20 से अधिक वर्षों की अवधि के लिए ऋण का वित्तपोषण प्रदान करना शुरू कर दिया है। इसके अतिरिक्त, यह भी सूचित किया है कि मंत्रालय जल विद्युत विकासकर्ताओं के लिए कम लागत वाले वित्तपोषण उपलब्ध कराने के लिए बैंकरों और वित्तीय संस्थानों के साथ वार्ताएं कर रहा है। समिति ने इस कदम का स्वागत किया है क्योंकि वे लंबे समय से इसके लिए दबाव बना रहे थे। इसलिए, समिति की इच्छा है कि सभी जल विद्युत परियोजनाओं को सस्ती दर पर दीर्घावधिक वित्तपोषण प्रदान किया जाए। सरकार को अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से जल विद्युत परियोजनाओं के लिए सस्ती दर पर अनुदान/सहायता/ऋण प्राप्त करने के लिए भी प्रयास करना चाहिए।

सरकार का उत्तर

जल विद्युत परियोजनाओं की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार लाने हेतु दीर्घावधिक लघु ब्याज वित्तपोषण साधनों के लिए सरकार के प्रयास निरंतर जारी हैं। मंत्रालय के प्रयासों के साथ, आरईसी और पीएफसी पहले से ही 40 वर्षों के परियोजना अवधि के 80% तक की अवधि के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो गए हैं, अर्थात, अब ये ऋण 32 वर्ष तक उपलब्ध होंगे। दीर्घावधिक ऋण प्रदान करने के लिए अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों को प्रोत्साहित करने हेतु अग्रणी बैंकरों के साथ दिनांक 10.01.2019 को सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता में और दिनांक 17.02.2020 को विद्युत मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में बैठकें आयोजित की गई थी। बैंकर विकासकर्ता की धनापूर्ति के अनुरूप ऋणों के पुनर्भुगतान के साथ और दीर्घावधि के लिए ऋण, अर्थात 18 वर्ष तक, ऋण प्रदान करने पर सहमत हो गए हैं। इसके अतिरिक्त, टैरिफ को कम करने हेतु सीपीएसयू को वैश्विक वित्तीय संस्थान जैसे विश्व बैंक, एडीबी, जेआईसीए आदि से दीर्घावधिक ऋण प्राप्त करने की संभाव्यता का पता लगाने के लिए भी कहा गया है।

[विद्युत मंत्रालय फाइल सं.15-8/14/2018-एच–दो, दिनांक:10.05.2020]

समिति की टिप्पणियां

[कृपया प्रतिवेदन के अध्याय-एक का पैरा सं.11 **देखें**]

सिफारिश (क्रम संख्या 7)

जल विद्युत क्रय दायित्व

समिति ने पाया है कि जल विद्युत परियोजनाओं को अन्य अनेक अनिश्चितताओं और उच्च प्रारंभिक लागत के अतिरिक्त नुकसान के साथ लंबी प्रारंभिक अवधि के लिए विकसित करना काफी

कठिन है। समिति ने यह नोट किया है कि अधिक विद्युत दरों के कारण, विकासकर्ताओं को विद्युत क्रय करार (पीपीए) पर हस्ताक्षर करना मुश्किल लगता है। समिति विद्युत प्रणालियों में जल विद्युत की आवश्यक मात्रा की जरूरतों को समझती है और इसलिए उनकी राय है कि जल विद्युत क्रय दायित्व (एचपीओ) के लिए प्रावधान बनाते हुए सौर ऊर्जा की तरह ही जल विद्युत को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। समिति का मानना है कि ऐसा करने से जल विद्युत क्षेत्र के विकास को बहुत अधिक प्रेरणा मिलेगा और इसे बढ़ावा देने के लिए जल विद्युत क्षमता वाले राज्यों को प्रोत्साहन मिलेगा।

सरकार का उत्तर

जल विद्युत क्रय दायित्व (एचपीओ) के लिए समिति की सिफारिशों को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 07.03.2019 को आयोजित बैठक में पहले से ही अनुमोदन दे दिया था। अनुमोदन के अनुसार, एचपीओ को गैर-सौर नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) के भीतर एक अलग इकाई के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। एचपीओ द्वारा दिनांक 08.03.2019 के बाद शुरू किए गए सभी एलएचपी तथा 8.03.2019 से पहले शुरू किए परियोजनाओं की संयुक्त क्षमता (अर्थात पीपीए रहित) को कवर किया जाएगा। इसके लिए सौंपे गए प्रतिशत में वृद्धि के बाद एचपीओ मौजूदा गैर-सौर आरपीओ के भीतर होगा, ताकि अन्य नवीकरणीय स्रोतों के लिए मौजूदा गैर सौर आरपीओ, एचपीओ की शुरुआत से अप्रभावित रहे। वर्ष 2030 तक 30000 मेगावाट जल विद्युत को जोड़ने के उद्देश्य से विद्युत मंत्रालय द्वारा वर्ष 2030 तक एचपीओ लक्ष्यों की ट्रेजेक्टरी को अधिसूचित किया गया है और वार्षिक लक्ष्य जल विद्युत क्षेत्र में परियोजना क्षमता वृद्धि योजनाओं पर आधारित है।

[विद्युत मंत्रालय फाइल सं.15-8/14/2018-एच–दो, दिनांक:10.05.2020]

सिफारिश (क्रम संख्या 9)

केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

समिति ने नोट किया है कि जल विद्युत की वर्तमान कुल स्थापित क्षमता 45400 मेगावाट है। उसमें निजी क्षेत्र का हिस्सा 3,394 मेगावाट है जो कि सिर्फ 7.5 प्रतिशत है, जबकि वे ताप विद्युत क्षेत्र का 39% हिस्से के साथ नेतृत्व कर रहे हैं। समिति ने इस विषय की जांच के दौरान यह पाया है कि कई निजी दावेदार जिन्हें जल विद्युत परियोजना आवंटित की गई है, उन्हें विभिन्न कारणों से इस परियोजना का निर्माण/पूर्ण करने में मुश्किल हो रही है जिसमें विशेषज्ञता की कमी और वित्तीय बाधाएं सम्मिलित हैं। समिति ने पाया है कि वर्तमान विद्युत क्षेत्र परिदृश्य और परियोजनाओं में वित्तपोषण में आ रही बाधाओं के कारण, जल विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र का रुझान कम है। यहां तक कि सचिव (विद्युत) ने भी यह स्वीकार किया है कि ऋणदाता निजी व्यक्तियों को दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने के लिए इच्छुक नहीं है। निजी व्यक्तियों की बंद पड़ी परियोजनाओं को आरंभ करने के संबंध में, सचिव ने कहा है कि, सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम काम आरंभ करने के लिए तैयार हैं और राज्य सरकारों के साथ संयुक्त उद्यम मॉडल में प्रवेश करने के लिए भी तैयार हैं। समिति यह जानती है कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पास आवश्यक

बुनियादी ढांचा, जनशक्ति, विशेषज्ञता आदि उपलब्ध है और उनके पास जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के क्षेत्र में भी व्यापक अनुभव है। इसके साथ-साथ, उनके द्वारा आवश्यक धनराशि जुटाने में भी कोई समस्या नहीं है। इसलिए, समिति की सिफारिश है कि राज्यों में जल विद्युत का उपयोग करने में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को शामिल करना चाहिए और परियोजनाओं के आवंटन में उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए जिन्हें अभी आवंटित किया जाना है। समिति यह भी चाहती है कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम परित्यक्त, तनावग्रस्त या बंद पड़ी जल विद्युत परियोजनाओं के अधिग्रहण के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे।

सरकार का उत्तर

इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने तीन सीपीएसयू जैसे, एनएचपीसी, एसजेवीएन और एनटीपीसी को 3357 मेगावाट की 11 जल विद्युत परियोजनाओं का आवंटन किया है।

इसी प्रकार, जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने सीवीपीपीएल, जो कि एनएचपीसी और जम्मू एवं कश्मीर सरकार और पीटीसी के बीच संयुक्त उद्यम है, को पकलदुल (1000 मेगावाट), किरु (624 मेगावाट) और क्वार (500 मेगावाट) का आवंटन किया है। इसके अतिरिक्त, रत्ले एचई परियोजना (850 मेगावाट), जो पहले मैसर्स जीवीके को आवंटित की गई थी और अब जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा एनएचपीसी और जेकेएसपीडीसी के संयुक्त उद्यम को कार्यान्वयन के लिए सौंप दिया है, जिसमें एनएचपीसी अग्रणी भागीदार है।

सिक्किम में दो जल विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, नामतः तीस्ता-VI (500 मेगावाट) और रंगित-IV (120 मेगावाट), जो कि शुरुआत में निजी कंपनियों को आवंटित की गई थीं, जिनका एनसीएलटी में सफल बोली के बाद एनएचपीसी ने उसका अधिकार ले लिया है।

[विद्युत मंत्रालय फाइल सं.15-8/14/2018-एच–दो, दिनांक:10.05.2020]

सिफारिश (क्रम संख्या 10)

समर्थकारी अवसंरचना का सृजन

समिति ने पाया है कि जल विद्युत की संभावनाएं स्थल-विशिष्ट हैं तथा अधिकतर दूर-दराज और सुदूर क्षेत्रों में स्थित होती हैं। किसी भी संपर्क सड़क तथा समर्थकारी अवसंरचना के अभाव में, इन स्थलों तक पहुँच तथा उनका विकास, एक विचारणीय मुद्दा है। इन परिस्थितियों में उत्पादकों को इन परियोजनाओं को विकसित करने में बहुत कठिनाई होती है। उत्पादक की न केवल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए समर्थवान अवसंरचना जैसे कि सड़कें, पुल इत्यादि विकसित करने की जिम्मेदारी है बल्कि उन खर्चों को भी वहन करना होता है जो परियोजना लागत तथा विद्युत प्रशुल्क में वृद्धि के कारण होते हैं। समिति, इसलिए समर्थकारी अवसंरचना के कार्य तथा निर्माण और वास्तविक जल विद्युत परियोजना के विकास कार्य को अलग करने की आवश्यकता महसूस करती है। इस प्रकार निर्मित समर्थकारी अवसंरचना जिस प्रकार राज्य के समग्र विकास में भी मदद करती है, इसीलिए समिति यह सिफारिश करती है कि केंद्र सरकार की मदद से राज्य सरकार

को जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए आवश्यक समर्थकारी अवसंरचना निर्माण की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। केंद्र सरकार की "प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना" का उपयोग राज्य सरकार द्वारा उन क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर सड़कों के निर्माण के संबंध में किया जा सकता है, जहां कहीं जल विद्युत परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी स्कीमों के उपयोग के अतिरिक्त, केंद्र सरकार को प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाओं में तथा इसके आस-पास समर्थकारी अवसंरचना के विकास के लिए केंद्रीय सड़क निधि जैसे अन्य उपलब्ध स्रोतों का भी पता लगाना चाहिए।

सरकार का उत्तर

जल विद्युत परियोजनाओं के आस-पास विकासशील अवसंरचना की कठिनाइयों से निपटने के उद्देश्य से, केन्द्रीय मंत्रिपरिषद ने 07.03.2019 को आयोजित अपनी बैठक में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए समर्थकारी अवसंरचनाओं अर्थात् सड़कों एवं पुलों के लिए वित्तीय सहायता के प्रावधान का अनुमोदन किया। यह सहायता 08.03.2019 के बाद निर्माण कार्य शुरू होने वाली परियोजनाओं पर ही लागू होगी। यह बजटीय सहायता पीआईबी/सीसीईए/सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक परियोजना के मूल्यांकन/अनुमोदन के बाद प्रचलित नियमों/उपयुक्त प्रक्रिया के अनुसार उपलब्ध कराई जाएगी।ऐसी सड़कों एवं पुलों के लिए इस अनुदान की सीमा निम्नानुसार होगी:—

- 200 मेगावाट तक की परियोजनाओं के लिए 1.5 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट।
- 200 मेगावाट से अधिक की परियोजनाओं के लिए 1.0 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट।

[विद्युत मंत्रालय फाइल सं.15-8/14/2018-एच–दो, दिनांक:10.05.2020]

सिफारिश क्रम संख्या 11)

स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (एलएडीएफ)

समिति यह नोट करती है कि राज्य में स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (एलएडीएफ) का प्रावधान है। जल विद्युत परियोजनाओं की विद्युत की लागत का 2 प्रतिशत इस निधि में जाता है। केंद्र और राज्य सरकार इसमें प्रत्येक 1 प्रतिशत का योगदान करते हैं। यह सुनिश्चित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि इस निधि का उपयोग उन लोगों के लाभ के लिए किया जाए जो जल विद्युत परियोजनाओं से प्रभावित हैं। इस निधि के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए राज्य से दिशा-निर्देश तैयार करने तथा समिति गठित करने की अपेक्षा की जाती है। तथापि, समिति को अवगत कराया गया है कि कुछ राज्यों के मामले में यह धन (विद्युत की लागत का 2 प्रतिशत) राज्य सरकार की समेकित निधि में चला जाता है तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कोई दिशा-निर्देश और समिति गठित नहीं है कि धन का उपयोग इच्छित प्रयोजन के लिए किया गया है। समिति, इसलिए, इन राज्यों द्वारा जल्द अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए मंत्रालय को उचित स्तर पर इस मुद्दे को राज्यों के साथ उठाने की इच्छा रखती है। समिति यह भी अपेक्षा करती है कि संबंधित राज्य सरकार आवश्यक मशीनरी स्थापित करे तथा निधि का समय पर और उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करे।

सरकार का उत्तर

समिति के सुझावों को नोट कर लिया गया है।

[विद्युत मंत्रालय फाइल सं.15-8/14/2018-एच–दो, दिनांक:10.05.2020]

सिफारिश (क्रम संख्या 12)

जन प्रतिनिधियों/संसद सदस्यों की भागीदारी

समिति यह नोट करती है कि सामान्यतः सभी जल विद्युत परियोजनाओं तथा विशेषकर बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के साथ कुछ भ्रांतियां जुड़ी हुई प्रतीत होती हैं। ये मुख्य रूप से पर्यावरण, वन और वन्यजीवों पर उनके कथित प्रतिकूल प्रभाव, निजी और वन भूमि के बड़े स्तर पर जलमग्न होने और इसके परिणामस्वरूप जनसंख्या के वृहद् विस्थापन तथा इससे जुड़े पुनर्वास और पुनर्स्थापन मुद्दों आदि से संबंधित हैं, जिन्होंने सामान्य रूप से जल क्षेत्र के विकास में बाधा उत्पन्न की है। मंत्रालय ने जल विद्युत परियोजनाओं के विकास, पर्यावरण पर इसके प्रभाव तथा प्रभावित लोगों के लाभ के लिए प्रावधानों से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। समिति, तथापि, यह महसूस करती है कि अभी भी विद्युत के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने और जल विद्युत से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने की आवश्यकता है। इसलिए, समिति का सुझाव है कि सरकार को विभिन्न सार्वजनिक मंचों पर इस संबंध में अभियानों की शुरूआत करने तथा प्रासंगिक सूचना के प्रचार-प्रसार के अलावा, इस उद्देश्यपूर्ति के लिए संबंधित स्थानीय प्रतिनिधियों/संसद सदस्यों को भी अवश्य शामिल करना चाहिए। समिति का मानना है कि उनकी भागीदारी न केवल इस प्रयास में सहायक होगी, बल्कि कई अन्य स्थानीय मुद्दों में समाधान में भी सहायक होगी।

सरकार का उत्तर

मंत्रालय माननीय स्थायी समिति की सिफारिशों से सहमत है कि स्थानीय मुद्दों का समाधान करने में स्थानीय प्रतिनिधियों/संसद सदस्यों की सहभागिता द्वारा प्रांसगिक सूचनाओं के प्रचार-प्रसार सहित जन जागरूकता अभियानों से अधिक सहायता मिल सकती है।

इसके अतिरिक्त, यह भी सूचित किया जाता है कि फरवरी-मार्च, 2020 में अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित स्थलों के आस-पास के लगभग 40 स्थानीय लोगों को एनएचपीसी के चालू विद्युत स्टेशनों के दौरे पर ले जाया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य संपूर्ण क्षेत्र में जल विद्युत विकास के लाभों को समझने में भागीदारों को समर्थ बनाना था। जल विद्युत परियोजनाओं के लाभों के बारे में स्थानीय लोगों में बेहतर संचेतना के लिए भविष्य में ऐसे कार्य्रकमों को व्यापक पैमाने पर आयोजित करने की योजना है।

इस संबंध में, सुबानसिरी लोअर परियोजना (2000 मेगावट), जो परियोजना के विरोध में स्थानीय आंदोलन के कारण और उसके बाद एनजीटी प्रकरण के कारण दिसम्बर, 2011 से बंद पड़ी

थी, स्थानीय प्रतिनिधियों के सहयोग से अक्तूबर, 2019 में पुन: शुरू हो गई है। सुबानसिरी लोअर परियोजना पर कार्य की सफलतापूर्वक पुन: शुरूआत अरुणाचल प्रदेश में और परियोजनाओं को शुरू करने का मार्ग प्रशस्त करेगी।

समिति के सुझावों को नोट कर लिया गया है।

[विद्युत मंत्रालय फाइल सं.15-8/14/2018-एच–दो, दिनांक:10.05.2020]

समिति की टिप्पणियां

[कृपया प्रतिवेदन के अध्याय-एक का पैरा सं.17 **देखें**]

सिफारिश (क्रम संख्या 13)

अरुणाचल प्रदेश

समिति नोट करती है कि अरुणाचल प्रदेश राज्य जल विद्युत क्षमता से काफी संपन्न है। वर्ष 1987 में कराए गए पुनर्मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार, राज्य की 50,064 मेगावाट जल विद्युत क्षमता है। इस विशाल क्षमता की तुलना में, वास्तविक उपयोग केवल 515 मेगावाट है। समिति ने विषय की जांच के दौरान यह पाया है कि कई परियोजनाएं आबंटित की जा चुकी हैं और विकास के विभिन्न स्तरों पर हैं। तथापि, विभिन्न कारणों से उनमें से अधिकांश बंद कर दी गई हैं।

राज्य में जल विद्युत के मंद विकास के कारणों की व्याख्या करते समय, सचिव (विद्युत) ने बताया कि वहां पर शायद ही कोई विकास हुआ है क्यों कि वर्ष 2008 और 2009 में बड़ी संख्या में परियोजनाएं एक निश्चित प्रीमियम पर अवार्ड की गई थीं जो समझौता ज्ञापन आधारित परियोजनाएं हैं। उन्होंने आगे बताया कि चूंकि जल राज्य का विषय है, राज्य को विकास के लिए जल विद्युत परियोजना आबंटित करनी होती है। केन्द्रीय सरकार/पीएसयू जल विद्युत परियोजनाएं विकसित करने के लिए स्वयं पहल नहीं कर सकते हैं जबतक कि राज्यों द्वारा उन्हें उनका आबंटन नहीं किया जाता है। उन्हों ने इस बात पर भी जोर दिया है कि संभावित स्थलो का सर्वेक्षण एवं जांच शुरू करने की आवश्यकता है। चूंकि सर्वेक्षण एवं जांच में व्यय होता है, इसलिए इस संबंध में भारत सरकार से वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है। सर्वेक्षण एवं जांच के बाद, ऐसे स्थलों का विकास किसी के द्वारा, राज्य सरकार द्वारा भी किया जा सकता है।

समिति यह भी नोट करती है कि अरुणाचल प्रदेश में ऐसी परियोजनाएं हैं जिन्हें विकासकर्ताओं को आबंटित कर दिया गया है लेकिन विभिन्न कारणों से उन्हे इन परियोजनाओं का विकास करने में कठिनाई आ रही है। समिति ने आगे यह नोट किया है कि समझौता ज्ञापन में एक खंड है जिसके तहत राज्य सरकार के पास अत्यधिक देरी के मामले में ऐसी परियोजनाओं को किसी अन्य विकासकर्ता को पुन: आबंटित करने का विशेषाधिकार होता है।

इसलिए समिति सिफारिश करती है कि केन्द्रीय सरकार राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं का तेजी से विकास करने हेतु आवश्यरक विभिन्न उपाय करने के लिए उन्हें समर्थकारी बनाने के

लिए अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार को समझाए और हर संभव सहायता प्रदान करे। समिति अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार से इस संबंध में पहल करने और केन्द्री य सरकार के साथ सहयोग करने की अपेक्षा करती है। समिति यह सिफारिश भी करती है कि ऐसी परियोजनाओं को जो विकासकर्ताओं की अक्षमता के कारण रुकी हुई हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को जिनके पास क्षेत्र की आवश्यक विशेषज्ञता है, पुन: आबंटित कर देना चाहिए।

सरकार का उत्तर

दिवांग (2880 मेगावट), तवांग-I (600 मेगावाट), तवांग-II (800 मेगावाट) और तीस्ता IV (520 मेगावाट) आदि सहित अनेक परियोजनाओं को विकास के लिए केन्द्री य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सौपा गया है।

मंत्रालय द्वारा सतत एवं गहन निगरानी के कारण, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने आबंटित परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा की है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने निजी क्षेत्र को आबंटित बहुत कम अथवा शून्य प्रगति वाली 27 जल विद्युत परियोजनाओं (16 एनएचपी सहित) को विधिवत प्रक्रिया के बाद समाप्त कर दिया है। समाप्त की गई इन परियोजनाओं में से, केन्द्री य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से कार्यान्वयन हेतु उनकी रूचि की परियोजनाओं को अभिनिर्धारित करने के लिए कहा गया है।

इन 27 समाप्त की गई परियोजनाओं के अतिरिक्त, अंतिम कारण बताओ नोटिस के बाद 8 परियोजनाओं (7 एलएचपी) के समापन की प्रक्रिया चल रही है और 55 परियोजनाओं (43 एलएचपी) को समापन प्रक्रिया की कार्यवाई करने से पहले अंतिम कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है।

[विद्युत मंत्रालय, फाईल संख्या 15-8/14/ 2018-एच-दो, दिनांक:10.05.2020]

सिफारिश (क्रम संख्या 14)

उत्तराखंड

किए गए रिवर बेसिन अध्ययनों के आधार पर, वनस्पति, जीव-जंतु एवं जलीय जीवन सहित नदी पारिस्थितिकी-प्रणाली एवं जैव-विविधता को बनाए रखने के लिए अलग-अलग मौसमों में कतिपय पर्यावरणीय प्रवाहों को निर्मुक्ती करने की अनुशंसा की गई है। समिति को सूचित किया गया है कि पर्यावरणीय प्रवाहों का निर्णय वनस्पति एवं जीव-जंतुओं के अस्तित्व के अलावा जलीय जीवन को बनाए रखने के लिए अलग-अलग मौसमों के दौरान नदी की न्यूनतम गहराई के साथ-साथ नदी की चौड़ाई बनाए रखने के लिए लिया जाता है। इन बेसिन अध्ययन रिपोर्टों में अनुशंसित पर्यावरणीय प्रवाह (ई-फ्लो) की मात्रा परियोजना-दर-परियोजना अलग होती है।

समिति को पता चला है कि पर्यावरणीय प्रवाह की व्यवस्था से सर्वाधिक प्रभावित राज्य उत्तराखंड हैं। इस विषय पर चर्चा के दौरान राज्य के प्रतिनिधि ने बताया कि वे जल संसाधन मंत्रालय के पिछले आदेश के अनुसार जो विशेषज्ञ निकाय की राय पर ही आधारित था, 15% पर्यावरणीय प्रवाह को बनाए रखने को तैयार है। यह भी बताया गया है कि ई-फ्लो की सीमा को 15% से 20-30% तक बढ़ाने के नए आदेश से मौजूदा क्षमता के साथ लगभग 120 करोड़ रुपये की हानि होगी। और इसमें वह क्षमता शामिल नहीं जिसे विकसित किए जाने की आवश्य कता है। इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया कि ई-फ्लो में वृद्धि टैरिफ को लगभग 1.25 रुपये अधिक कर देगी जो विद्युत क्रय करारों को पूर्णत: अव्यवहार्य बना देगी। जब समिति ने इस संबंध में मंत्रालय के विचार मांगे तो यह बताया गया कि वे निश्चित रूप से उत्तराखंड के साथ हैं और वे इस मामले का उच्च स्ततर पर समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। विद्युत और पर्यावरण मंत्रालय सहमत हैं तथापि, जल संसाधन मंत्रालय का अलग विचार है।

उपरोक्त के मद्देनजर, समिति महसूस करती है कि ई-फ्लो के मुद्दे का संबंधित मंत्रालयों/एजेंसियों द्वारा परस्प्र सम्मंति से समाधान किया जाना चाहिए ताकि इस संबंध में सर्वसम्मबति बन सके। समिति का यह भी मत है कि पर्यावरणीय प्रवाह की अवधारणा पारिस्थितिकीय प्रणाली और नदी के जलीय जीवन के संरक्षण के लिए एक अच्छा उपाय है। तथापि, उसके साथ-साथ समिति यह भी महसूस करती है कि ई-फ्लो के मानदंडों में पूर्व प्रभाव से बदलावों से जल विद्युत विकासकर्ताओं को कठिनाई होगी। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि ई-फ्लो के मामले का यथासंभव यथा शीघ्र समाधान किया जाना चाहिए। समिति यह भी सिफारिश करती है कि यदि ई-फ्लो की बढ़ाई गई सीमा बनी रहती है, सरकार को व्यवहारिक अंतराल वित्तपोषण जैसे उपायों सहित प्रभावित परियोजनाओं को अपेक्षित सहायता प्रदान करने का रास्ता तलाशना चाहिए ताकि वे उनकी क्षमता कम होने के बाद भी व्यवहार्य बनी रहें।

सरकार का उत्तर

माननीय समिति के सुझावों को नोट कर लिया गया है ।

[विद्युत मंत्रालय फाइल सं.15-8/14/2018-एच–दो, दिनांक:10.05.2020]

सिफारिश (क्रम संख्या 15)

पूर्वी/उत्तर पूर्वी क्षेत्र/बिहार

समिति यह जानती है कि लगभग हर साल अधिकांश पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों को बहुत अधिक बाढ़ों के कोप का सामना करना पड़ता है जिसके परिणामस्वधरूप न केवल जीवन की हानि एवं संपत्ति का नुकसान होता है अपितु बाढ़ राहत उपायों के रूप में सरकार के राजकोष को भारी

हानि भी होती है। बिहार एक ऐसा राज्य है। समिति ने भाखड़ा बांध के अपने अध्य यन दौरे में बहुत ही कम लागत पर विद्युत उत्पादन के अलावा बाढ़ नियंत्रण में ऐसी बहुउद्देशीय परियोजनाओं के महत्व एवं उपयोग को स्पष्ट रूप से देखा।

समिति यह नोट करती है कि वर्ष 1987 में सीईए द्वारा पूरा किए गए जल विद्युत क्षमता के पुनर्मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार, बिहार में भंडारण आधारित जल विद्युत स्कीम के निर्माण के लिए कोई भी भंडारण स्थल अभिनिर्धारित नहीं किया गया है। तथापि, मंत्रालय ने बताया कि बिहार के नजदीक नेपाल के बाराक्षेत्र में सप्तकोसी उच्चतर बांध बहुद्देशीय परियोजना (3300 मेगावाट) और सप्त कोसी भंडारण-सह-विपथन स्कीम का निर्माण किया जाना प्रस्ता वित है जिनमें बाढ़ प्रबंधन घटक होगा। आगे यह भी बताया गया कि वर्ष 1981 में भारत द्वारा तैयार की गई परियोजना रिपार्ट की व्यवहार्यता के आधार पर, परियोजना 15,730 एमयू विद्युत उत्पादन के अलावा बिहार में सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण लाभ पहुंचाएगी। इसके अतिरिक्त, कोसी एवं गंगा नदी में अंतर्देशीय जलमार्ग का विकास परियोजना एक अन्य महतवपूर्ण घटक है। इस समय परियोजना की डीपीआर विस्तृत जांच एवं क्षेत्रीय कार्यों और डीपीआर के कार्यों को करने के लिए बिराट नगर में स्थापित संयुक्त परियोजना कार्यालय द्वारा तैयार की जा रही है जिसके सितम्बर, 2019 तक पूरी हो जाने की संभावना है।

समिति का मत है कि यह परियोजना दोनों देशों की आवश्यकता को पूरा करेगी, इसलिए इसे और समय बर्बाद किए बिना विकसित किए जाने की आवश्यकता है। समिति यह भी अपेक्षा करती है कि इस संबंध में सर्वोच्चं स्तर पर निष्ठापूर्वक प्रयास किए जाएंगे। इसलिए, समिति मंत्रालय को यह सुनिश्चिंत करने की सिफारिश करती है कि डीपीआर का कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरा किया जाए ताकि परियोजना शीघ्रातिशीघ्र विकसित हो जाए। समिति यह भी इच्छा व्यक्त करती है कि सरकार आपसी हितलाभों के लिए उपलब्ध जल विद्युत क्षमता का इष्टतम उपयोग करने के उद्देश्य् से प्राकृतिक संसाधनों को काम में लाने के लिए नेपाल, भूटान और अन्य दक्षेस देशों जैसे पड़ोसी देशों का सहयोग हासिल करने के प्रयास करेगी।

सरकार का उत्तर

भारत पहले से ही नेपाल एवं भूटान जैसे पड़ोसी देशों के साथ सहयोग करने में लगा हुआ है। आपसी लाभों के आधार पर इन देशों में उपलब्ध जल विद्युत क्षमता का इष्टतम उपयोग करने के लिए भारत की सहायता एवं सहयोग से इन देशों में विभिन्न परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं।

जल विद्युत क्षेत्र में भारत और भूटान के बीच जारी सहयोग 2006 द्विपक्षीय सहयोग करार और 2009 में हस्ताक्षर किए गए इसके नवाचारों के अंतर्गत समाविष्ट है। कुल 2136 मेगावाट की 04 जल विद्युत परियोजनाएं (एचईपी) भूटान में पहले से ही प्रचालन में हैं और भारत को अधिशेष विद्युत की आपूर्ति कर रही हैं। 720 मेगावाट की मांगदेछू एचईपी अगस्त, 2019 में चालू की गई है। अंतर-सरकार मोड में दो एचईपी अर्थात् 1200 मेगावट की पुनात्सं गछू-I, 1020 मेगावाट की

पुनात्संगछू-II और जेवी मोड में खोलोंगछू एचईपी (600 मेगावाट) कार्यान्वयनाधीन हैं। भूटान में 10000 मेगावाट जल विद्युत के संयुक्त विकास की भारत सरकार की प्रतिबद्धता के भाग के रूप में, दोनों पक्षों ने क्षेत्र में कई अन्य परियोजनाएं अभिनिर्धारित की हैं।

नेपाल के लिए, भारत की सहायता से नेपाल में 51.1 मेगावाट की 4 परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। अरुण-III परियोजना (900 मेगावाट) भारत के सीपीएसयू नामत: एसजेवीएन लिमिटेड द्वारा कार्यान्वयनाधीन हैं। इसके अतिरिक्त, एनएचपीसी लिमिटेड और टीएचडीसी लिमिटेड ने नेपाल में जल विद्युत क्षमता का अध्ययन करने और वहां पर जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने की क्षमता का पता लगाने के लिए एक दल नेपाल भेजा था।

इसके अतिरिक्त, पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना (5040 मेगावाट) आयोजना स्तर पर है। सप्तकोसी उच्च बांध बहुउद्देशीय परियोजना (3300 मेगावाट) और सन कोसी भंडारण-सह-विपथन स्कीम की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के संबंध में, ये बिराट नगर स्थिति संयुक्त परियोजना कार्यालय (जेपीओ) द्वारा तैयार की जा रहीं है। जुलाई, 2017 में आयोजित विशेषज्ञों के संयुक्त दल (जेटीई) की 15वीं बैठक के दौरान, सितम्बर, 2019 तक परियोजना की डीपीआर तैयार करने का निर्णय लिया गया था। तथापि, जनवरी, 2019 में जल संसाधन पर संयुक्त समिति की बैठक के दौरान यह नोट किया गया कि स्थानीय सदस्यों के विरोध के कारण अपेक्षित प्रगति हासिल नहीं की जा सकी।

[विद्युत मंत्रालय फाइल सं.15-8/14/2018-एच–दो, दिनांक:10.05.2020]

सिफारिश (क्रम संख्या 16)

हिमाचल प्रदेश

समिति नोट करती है कि 23,500 मेगावाट की काम मे लाई जाने वाली क्षमता की तुलना में, हिमाचल प्रदेश ने 10,547 मेगावाट मात्रा की क्षमता पहले ही विकसित कर ली है। जबकि, 1,885 मेगावाट क्षमता निर्माणाधीन है, 9,136 मेगावाट क्षमता मंजूरी/जांच स्तर पर है और शेष जो केवल 1,364 मेगावाट है, का आवंटन बाकी है। समिति जल विद्युत क्षेत्र के विकास में हिमाचल प्रदेश की सफलता को काफी प्रोत्साजहक पाती है और महसूस करती है कि जल विद्युत क्षमता संपन्न अन्य राज्यों द्वारा इसका अनुकरण किया जाना चाहिए। समिति को उसके अध्ययन दौरे के दौरान हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा राज्य सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न् समर्थकारी उपायों एवं अग्रसक्रिय कदमों के बारे में जानकारी दी गई जिन्होंने इस प्रयास में उन्हें सफलता दिलाई। चूंकि जल विद्युत परियोजनाओं की प्रारंभिक लागत अधिक और उत्पादन पूर्व अवधि लंबी होती है, इसलिए, उन्होंने विद्युत परियोजनाओं से 12% मुफ्त विद्युत भागीदारी को जो पहले 12 वर्षों में मिलनी थी, आस्थगित कर दिया है। अब यह समान प्रतिशत दर पर आगामी 28 वर्षों में वसूली जाएगी। एक अन्य महत्वपूर्ण बात जो हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने हाल ही में की है, यह है कि 25 मेगावाट तक की जल विद्युत परियोजनाओं द्वारा उत्पादित पूरी विद्युत

हिमाचल प्रदेश राज्य् विद्युत बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसईबीएल) द्वारा अनिवार्यत: खरीदी जाएगी। इसके अतिरिक्त, उन्होंने जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए प्रीमियम को घटाकर 1,00,000 रुपये प्रति मेगावाट कर दिया है और समग्र परियोजना लागत को कम करेन के उद्देश्य से सरकारी भूमि को केवल 1 रुपये पर दे रहे हैं। इनके अलावा, वे कोई जल उपकर नहीं वसूलते हैं। समिति ने पाया कि जल विद्युत विकास के प्रति हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार का प्रखर एवं अनुकूल दृष्टिंकोण के कारण, उनके पास अधिशेष विद्युत है और वे इसका निर्यात करके अतिरिक्त राजस्व अर्जित कर रहे हैं। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि सरकार को हिमाचल मॉडल का अनुकरण करने के लिए जल विद्युत क्षमता वाले अन्य राज्यों को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे देश में जल विद्युत क्षमता का इष्टतम उपयोग करने में राष्ट्र की सहायता होगी अपितु इन राज्यों में खुशहाली भी आएगी।

सरकार का उत्तर

अक्तूबर, 2019 में नर्मदा टेंट सिटी में आयोजित विद्युत मंत्रियों के सम्मेमलन के दौरान, जल विद्युत-प्रचुर राज्यों से जल विद्युत संवर्धन के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित उपायों को अनुकरण करने हेतु प्रोत्साहित किया गया। हिमाचल प्रदेश के उपायों में वहनीय दर पर टैरिफ लाने के लिए 12 प्रतिशत मुफ्त विद्युत का आस्थगन, लगभग मुफ्त दर पर सरकारी भूमि उपलब्ध कराना, जल उपकर नहीं वसूलना आदि शामिल हैं। इन उपायों से, हिमाचल प्रदेश सरकार ने तीन सीपीएसयू अर्थात् एनएचपीसी, एसजेवीएन एवं एनटीपीसी के साथ 3357 मेगावाट की 11 जल विद्युत परियोजनाओं के लिए सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

जम्मू एवं कश्मीर सरकार भी आगे आई है और पकलदुल (1000 मेगावाट), रत्ले (850 मेगावाट) और किरू (624 मेगावाट) परियोजनाओं में पहले 10 वर्षों के लिए जल उपकर छोड़ दिया है।

एचपीओ, टैरिफ को युक्तिसंगत बनाने, समर्थकारी अवसंरचना/बाढ़ नियंत्रण के लिए बजटीय सहायता आदि जैसे और अधिक उपायों को केन्द्रीय सरकार द्वारा मार्च, 2019 में अनुमोदित कर दिया गया है। इससे देश में जल विद्युत विकास को बढ़ावा मिलेगा और वर्ष 2030 तक 30000 मेगावाट जल विद्युत अभिवृद्धि में सहायता मिलेगी।

[विद्युत मंत्रालय, फाईल संख्या 15-8/14/2018-एच-दो दिनांक:10.05.2020]

अध्याय तीन

टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती

-शून्य-

अध्याय चार

सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किये हैं तथा जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है

सिफारिश (क्रम संख्या 08)

जल उपकर

समिति ने यह नोट किया है कि कुछ राज्यों ने जल विद्युत संयंत्र द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक क्यूबिक मीटर पानी के लिए जल उपकर लगाया है। हालांकि, समिति को ऐसा इसके पीछे कोई ठोस कारण नहीं मिला है कि जल विद्युत संयंत्र द्वारा पानी का कोई विनाशी उपयोग नहीं होता। पानी सिर्फ टरबाइन से गुजरता है और फिर से नदी में चला जाता है। समिति ने पाया है कि जल विद्युत परियोजना से संबंधित राज्यों को 12% मुफ्त विद्युत देने के प्रावधान पर विचार करके जल उपकर लगाना उचित नहीं है। चूंकि, जल उपकर लगाने से, पहले से ही तनावग्रस्त क्षेत्र पर और बोझ पड़ेगा। समिति का दृढ़तापूर्वक मानना है कि जिन राज्यों ने इसे लगाया है उन्हें इस मामले में फिर से विचार करने की आवश्यकता है। समिति यह भी चाहती है कि मंत्रालय जल विद्युत परियोजनाओं पर कोई जल उपकर नहीं लगाने के लिए राज्यों को राजी करेगा।

सरकार का उत्तर

वर्तमान में, केवल जम्मू सरकार जल विद्युत परियोजना पर जल उपकर लगाती है। इस संबंध में, मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 24.11.2017 द्वारा जम्मू सरकार के साथ जल उपकर लगाने के मामले को वापस लेने का मुद्दा उठाया है। जम्मू कश्मीर ने प्रारंभिक वर्षों में टैरिफ को नीचे लाने के लिए पकलदुल (1000 मेगावाट), किरू (624 मेगावाट) और रत्ले (850 मेगावाट) जैसी, तीन परियोजनाओं के प्रारंभिक 10 वर्षों के लिए जल उपकर में छूट देने पर सहमति व्यक्त की।

[विद्युत मंत्रालय फाईल संख्या 15-8/14/2018-एच-दो दिनांक 10.05.2020]

समिति की टिप्पणी

[कृपया प्रतिवेदन के अध्याय 1 का पेरा संख्या 14 **देखें**]

अध्याय पांच

टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार ने अंतरिम उत्तर दिए हैं/जिनके संबंध में उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं

-शून्य–

नई दिल्ली;
18 मार्च, 2021
27 फाल्गुन, 1942 (शक)

राजीव रंजन सिंह *उर्फ* ललन सिंह,
सभापति,
ऊर्जा सम्बंधी स्थायी समिति।

परिशिष्ट एक

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2020-21) की दिनांक 18 मार्च, 2021 को समिति कक्ष 2', संसदीय सौध विस्तार भवन, नई दिल्ली में सम्पन्न हुई आठवीं बैठक का कार्यवाही सारांश।

समिति की बैठक पूर्वाह्न 1500 बजे से अपराह्न 1535 बजे तक चली।

श्री राजीव रंजन सिंह *उर्फ* ललन सिंह — **सभापति**

सदस्य

लोक सभा

2. श्रीमती शोभा कारान्दलाजे
3. श्री रमेश चन्द्र कौशिक
4. श्री अशोक महादेवराव नेते
5. श्री परबतभई सवाभाई पटेल
6. श्री दिपसिंह शंकरसिंह राठौड़
7. श्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी
8. श्री शिवकुमार चनबसप्पा उदासी

राज्य सभा

9. श्री टी.एस. एलंगोवन
10. श्री महाराजा संजाओबा लेशंबा
11. श्री जुगलसिंह माथुरजी लोखंडवाला
12. डॉ. सुधांशु त्रिवेदी
13. श्री के.टी.एस. तुलसी

सचिवालय

1. श्री आर.सी. तिवारी — **संयुक्त सचिव**
2. श्री आर.के. सूर्यनारायणन — **निदेशक**
3. श्री कुलमोहन सिंह अरोड़ा — **अपर निदेशक**

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें बैठक की कार्यसूची से अवगत कराया। तत्पश्चात, समिति ने निम्नलिखित दस प्रारूप प्रतिवेदनों को विचारार्थ तथा स्वीकार करने के लिए लियाः—

(क) 'राष्ट्रीय सौर मिशन —एक मूल्यांकन' विषय से संबंधित 28वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन;

(ख) 'विद्युत क्षेत्र की दबावग्रस्त/गैर-निष्पादनकारी आस्तियों के संबंध में 37वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन;

(ग) 'दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के संबंध में आरबीआई की संशोधित रूपरेखा का विद्युत क्षेत्र की गैर-निष्पादनकारी आस्तियों पर प्रभाव' से संबंधित 40वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन;

(घ) 'गैस आधारित विद्युत संयंत्रों में संकटग्रस्त/गैर-निष्पादित परिसम्पतियों के संबंध में 42वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन;

(ड) 'जल विद्युत' विषय से संबंधित 43वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन;

(च) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2019-20) से संबंधित पहले प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन;

(छ) विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2019-20) से संबंधित दूसरे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन;

(ज) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2020-21) से संबंधित तीसरे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन;

(झ) विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2020-21) से संबंधित चौथे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन;

(ञ) 'अक्षय ऊर्जा के 175 गीगावाट (जीडब्ल्यू) के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्य योजना' विषय से संबंधित प्रतिवेदन।

3. प्रतिवेदन की विषय-वस्तु पर चर्चा करने के उपरांत, समिति ने उपर्युक्त प्रारूप प्रतिवेदनों को बिना किसी संशोधन/सुधार के स्वीकार कर लिया। समिति ने सभापति महोदय को उपरोक्त प्रतिवेदनों को अंतिम रूप से स्वीकार करने तथा वर्तमान बजट सत्र में संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई ।

परिशिष्ट दो

(**देखिए** प्रतिवेदन का प्राक्कथन)

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 43वें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण:

एक. सिफारिशों की कुल संख्या : 16

दो. टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है :

क्रम सं. : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16

कुल: 15

प्रतिशत: 93.75%

तीन. टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती है :

क्रम सं. : -शून्य–

कुल: 00

प्रतिशत: 00%

चार. टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को समिति ने स्वीकार नहीं किया हैं और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है :

क्रम सं. : 8

कुल: 01

प्रतिशत: 6.25%

पांच. टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं :

क्रम सं. : -शून्य–

कुल: 00

प्रतिशत: 00%